



अंचल अधिकारी का कार्यालय SATBARWA , PALAMU (झारखण्ड)

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों (CEIs) में दाखिला हेतु आवेदन करने के लिये अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाणपत्र सन्दर्भ संख्या : JHCSC/2021/50737 जारी करने की तिथि : 23/06/2021

प्रमाणित किया जाता है कि ABHISHEK KUMAR पिता RAJU MOCHI , ग्राम/नगर: KAMARU , धाना : SATBARWA , जिला/प्रमांडल PALAMU , राज्य/संघशासित प्रदेश JHARKHAND , निम्नलिखित के अधीन यथा मान्यताप्राप्त अनुसूचित जाति के अधीन CHAMAR जाति के सदस्य हैं।

संविधान (अनुसूचित वाची) आदेश, 1950 , संविधान (अनुसूचित जनजाती) आदेश, 1950
संविधान (अनुसूचित वाची) (संविधानित प्रदेश) आदेश, 1951 , संविधान (अनुसूचित जनजाती) (संघ वाचित प्रदेश) आदेश, 1951

(अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची (संघीयता 1975 तक सम्पन्न)

संविधान (लम्पु और कम्पोने अनुसूचित जनता आदेश, 1956 संविधान (लम्पु और निलोकर दीप सम्म) अनुसूचित जनता आदेश, अनुसूचित जनता आदेश अनुसूचित जनता आदेश (हस्तीका) अधिनियम, 1976 द्वारा अनुसूचित जनता आदेश, 1953 द्वारा बनाई गयी अनुसूचित

संविधान (पंक्तिकरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित जनजाती) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967

गोवान (नागारक) उन्नुसूखी जनजाति अधिका, 1970, संभेदन (साहित्य) उन्नुसूखी जाति आदत, 1978
संभेदन मिलियन भाषाओं का विवरण, 1973, विभिन्न भाषा की विवरण, भाषाओं का विवरण, 1980

संविधान (संसदीय अनुसूचक जनसंघात अंदर), 1978, संविधान (ज्ञान और कल्याण) अनुसूचित जनसंघ अंदर, 1988

तंत्रिकान (रस्टी अदेता) संलोकन अध्यादेता आधिकारिक, 1996, संविधान (अनुसूचित जाति) आदेता (संलोकन) आधिकारिक, 2002

2. ABHISHEK KUMAR तथा/अथवा उनका परिवार सामान्य रूप से राज्य/संघशासित प्रदेश के ग्राम/नगर : KAMARU, थाना : SATBARWA, जिला/प्रमण्डल : में निवास करते हैं।

3. यह प्रमाणपत्र अगले आदेश तक या झारखंड राज्य के अन्तर्भूत जाति की सभी में कोई परिवर्तन द्वारा तक है और योग्य।

दिप्पणी के सर्वोच्च प्रयत्न पढ़ 'आधारस्तरात् चित्तस्मी' का तबी अर्थ होगा जो उन्नामितिशुल अधिकारियां 1950 की अवधि 20 में हैं।

प. पहाड़ प्रयुक्ति विद्या लोकों के लिये राशन स्ट्रिक्चरिंगों की ज़रूरि निपटना चाहिए है।

- i) जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/तालुक दंडाधिकारी/कार्यपालक
दंडाधिकारी/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के पद से अन्यून)
ii) मुख्य प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/अपर प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी।
iii) राजस्व पदाधिकारी जो तहसीलदार के पद से अन्यून होगा।
iv) उस द्वेरा के अनुमंडल पदाधिकारी जहाँ अपर्याप्त अपर/प्रथम उम्रका प्रतिवार रहता है।

Digitally signed by YUGESHWAR SINGH
अंचल आइटेक्सी SATBARWA क्रमांकित हस्ताक्षर

स्थान : SATBARWA
तिथि : 23/06/2021